

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क्रमांक 232 / 15

संस्थित दिनांक-04.09.2015

मध्यप्रदेशराज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

1. सुरेश पुत्र गनपत अहिरवार उम्र 47 साल
निवासी वार्ड क्रमांक 5 तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0
2. पप्पू उर्फ सन्तोष पुत्र गनपत अहिरवार उम्र 38 साल
3. दाऊ उर्फ प्रमोद पुत्र गनपत अहिरवार उम्र 27 साल
निवासीगण वार्ड क्रमांक 3 तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :—

(आज दिनांक को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-294, 324 / 34, 323 दो शीर्ष, 506 भाग दो के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक-21.08.2015 को समय दोपहर करीब 02:00 बजे दिल्ली दरबाजा पर फरियादी के घर के पास गली में सार्वजनिक स्थान पर फरियादी मोनू अहिरवार को मां-बहन की अश्लील गालिया देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने के साथ फरियादी मोनू उर्फ महेन्द्र को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी पप्पू उर्फ संतोष ने पत्थर से स्वेच्छया उपहति कारित की एवं सभी आरोपीगण ने मोहनी बाई व दीक्षा के साथ भी मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी मोनू उर्फ महेन्द्र को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारिया किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-21.08.2015 को दोहपर 02:00 बजे मोनू अपनी गली के बाहर खड़ा होकर अपनी मौसी के लडके सुनील से बात कर रहा था तो इतने में सुरेश व उसके भाई पप्पू व दाऊ आये और मोनू को बुरी बुरी गालिया देने लगे। मोनू ने जब गालियां देने से मना किया तो तीनों आरोपीगण ने लातघूंसें से उसके साथ मारपीट की जिससे उसके शरीर पर जगह जगह मुन्दी मुन्दी चोटें आयी व पप्पू ने

पत्थर उठाकर मोनू को मारा जो फरियादी के सिर के उपर लगा जिससे खून निकल आया। झगड़े में मोनू की दादी मां मोहनी बाई व बहन दीक्षा बीच बचाव करने आयी तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। मोहनी बाई के दाहिने पैर के अंगूठे में चोट आयी व बहन दीक्षा को भी मुन्दी चोट आयी। मौके पर बल्लम मेहतर व राजू बाल्मिक थे जिन्होंने घटना देखी। तीनों धमकी दी की अगर हमारी लडकी के साथ दिखा तो जान से खत्म कर देंगे। फरियादी मोनू ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी में लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 302/2015 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 506 बी, 34 भा0द0वि0 के तहत लेखबद्ध की गयी। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— अभियुक्तगण को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निदोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक—21.08.2015 को समय दोपहर करीब 02:00 बजे दिल्ली दरबाजा पर फरियादी के घर के पास गली में फरियादी मोनू उर्फ महेन्द्र को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अभियुक्त पप्पू उर्फ संतोष ने पत्थर से एवं आरोपी सुरेश व दाउ उर्फ प्रमोद ने लात—घूंसों से फरियादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने मोहनी बाई और दीक्षा के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3.	क्या उक्त दिनांक समय व सार्वजनिक स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी मोनू अहिरवार को मां—बहन की अश्लील गालिया देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
4.	क्या उक्त दिनांक समय व सार्वजनिक स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी मोनू अहिरवार को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
5.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का विवेचना एवं निष्कर्ष:—

- 05— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आयी साक्ष्य पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है।
- 06— फरियादी मोनू (अ0सा0—1) का अभियोजन के समर्थन में अपने न्यायालीन कथनों में यह कहना है कि वह आरोपी सुरेश की लडकी रानी के साथ किला कोटी घुमने गया था, तो इसी बात पर आरोपीगण ने उसके घर पर आकर जब वह घर के सामने दरवाजें पर बैठकर अपने मौसी के लडके से फोन पर बात कर रहा था, उसके साथ मारपीट की थी। इस संबंध में मोहनी बाई (अ0सा0—2) ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में फरियादी के कथनों की पुष्टि करते हुये, यह कथन दिये हैं कि मोनू (अ0सा0—1) को आरोपी सुरेश की लडकी रानी ने घुमने के लिये बुलाया था तो इसी बात पर आरोपीगण ने मोनू के साथ मारपीट की थी। दीक्षा (अ0सा0—4) जो कि फरियादी मोनू (अ0सा0—1) की बहन है ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में फरियादी मोनू (अ0सा0—1) के कथनों की पुष्टि करते हुये यह कथन दिये हैं कि उसके भाई को आरोपी सुरेश की लडकी ने बुलाया था, इसी बात पर झगडा हुआ था।
- 07— मोनू (अ0सा0—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में झगडे का जो कारण बताया हैं, उसका समर्थन मोहनी बाई (अ0सा0—2) व दीक्षा (अ0सा0—4) ने अपने न्यायालीन कथनों में किया हैं तथा मोनू (अ0सा0—1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रकरण में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 से होती है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि फरियादी मोनू (अ0सा0—1) को सुरेश की लडकी ने फोन लगाकर बुलाया था, तो वह उसके साथ किला कोटी घुमने गया था और इसी बात पर विवाद हुआ था। घटना घटित होने के कारण को लेकर मोनू (अ0सा0—1) के कथन के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन उसके संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में अखण्डित हैं तथा अन्य साक्षियों के कथनों से एवं प्रकरण में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 से मोनू (अ0सा0—1) के उपरोक्त कथनों की पुष्टि भी होती है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है।
- 08— मोनू (अ0सा0—1) के प्रतिपरीक्षण में स्वयं बचावपक्ष की ओर से प्रतिरक्षा स्वरूप यह सुझाव दिये गये है कि फरियादी आरोपी सुरेश की लडकी को भगाकर ले गया था तथा वह सुरेश की लडकी को छेडता भी था। मोहनी बाई (अ0सा0—2) एवं दीक्षा (अ0सा0—4) के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से भी प्रतिरक्षा स्वरूप यही सुझाव दिया गया हैं कि फरियादी आरोपी सुरेश की लडकी को छेडता था तथा इसी बात पर विवाद हुआ था। बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझाव का खण्डन हालांकि साक्षियों ने स्पष्ट तौर पर अपने प्रतिपरीक्षण में किया हैं, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझाव अपने आप में ही विरोधाभासी हैं क्योंकि यदि फरियादी आरोपी सुरेश की लडकी को भगाकर ले जा सकता हैं, तो उसके साथ छेडछाड करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। बचाव पक्ष के द्वारा दिये गये उपरोक्त सुझाव से स्वत ही फरियादी मोनू (अ0सा0—1) सहित अभियोजन के अन्य साक्षी मोहनी (अ0सा0—2) व दीक्षा (अ0सा0—4)

के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में घटना घटित होने के बताये गये कारण की पुष्टि होती हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आरोपीगण का फरियादी से विवाद आरोपी सुरेश की लडकी के साथ मिलना जुलना था। जिससे दोनों पक्षों में पूर्व की रंजिश उक्त कारण से होना स्थापित होता है।

- 09— यहां उल्लेखनीय है कि दो पक्षों की मध्य पूर्व की रंजिश होना दो धारी तलवार के सामान होता है, जिससे किसी व्यक्ति को झूठे अपराध में फंसाया भी जा सकता है तथा साथ उक्त रंजिश के रहते किसी पक्ष के द्वारा विरोधी पक्ष के साथ घटना भी कारित की जा सकती है अतः अभियोजन घटना की सत्यता की जांच के लिये साक्षियों के कथनों का सूक्ष्म मूल्यांकन एवं घटना की अन्य परिस्थितियों सूक्ष्मता से देखे जाने की आवश्यकता है। फरियादी मोनू (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट कथन दिये है कि घटना दोपहर के समय की है तथा घटना के समय वह अपने घर के सामने दरवाजें पर बैठा था और मौसी के लडके से फोन पर बातें कर रहा था, फरियादी ने स्पष्ट रूप से घटना स्थल अपने घर के बाहर का होना बताया है जिसकी पुष्टि मोहनी बाई (अ0सा0-2) व दीक्षा (अ0सा0-4) सहित घटना के स्वतंत्र साक्षी बलराम (अ0सा0-5) ने अपने न्यायालीन कथनों में की हैं। घटन स्थल फरियादी के घर के बाहर का था, इस बात की पुष्टि अनुसंधानकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक मंजू मखेनियां (अ0सा0-7) के द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान तैयार किये गये नक्शा मोका प्र0पी0 2 में चिन्हित किये गये, घटना स्थल से भी होती है।
- 10— मोनू (अ0सा0-1) का अपने कथनों में कहना है कि जब वह अपने घर के दरवाजें पर बैठकर अपने मौसी के लडके से फोन पर बात कर रहा था तो तीनों आरोपीगण वहा आये और उन्होंने ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया तथा उनमें से एक आरोपी ने उसे पीछे से सिर में पत्थर मार दिया, जिससे पत्थर लगने से उसके सिर में चोट आयी थी तथा इसके अलावा उसके शरीर में व पैर में छिलन की चोट आयी थी। घटना में फरियादी मोनू (अ0सा0-1) को सिर में पत्थर मारने से उपहति कारित हुयी थी, इस संबंध में मोहनी बाई (अ0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों की कण्डिका 3 में यह स्पष्ट किया है कि आरोपीगण उसके लडके साथ मारपीट कर रहे थे जिनमें अभियुक्त पप्पू ने पत्थर मारा था, जो कि मोनू (अ0सा0-1) के पैर में और सिर में लगा था, इस साक्षी का अपने मुख्य परीक्षण में यह स्पष्ट कहना है कि मोनू के सिर में चोट आयी थी, जिसमें टांके लगे थे। दीक्षा (अ0सा0-4) ने भी अपने कथनों इस बात की पुष्टि की है कि उसका भाई मोनू (अ0सा0-1) घटना के समय घर के बाहर दरवाजें पर बैठा था जहा पर से तीनों आरोपीगण ने उसे पकड कर खींच लिया था और उसके साथ मारपीट की थी, इस साक्षी का भी कहना है कि आरोपीगण ने पत्थर से मारा था जिससे मोनू के सिर में चोट आयी थी।
- 11— फरियादी मोनू (अ0सा0-1) सहित मोहनी बाई (अ0सा0-2) व दीक्षा (अ0सा0-4) के कथन इस संबंध में अखण्डित है कि घटना में तीनों आरोपीगण एक साथ उनके घर के बाहर आये थे और मोनू (अ0सा0-1) के साथ मारपीट की थी जिसमें मोनू के सिर में पत्थर पडने

से उसे सिर में चोट आयी थी। हालांकि मोनू (अ0सा0-1) व दीक्षा (अ0सा0-4) ने इस संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है कि मोनू (अ0सा0-1) को सिर में पत्थर किसने मारा था, परन्तु मोहनी बाई (अ0सा0-2) ने इस संबंध में अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि पप्पू के पत्थर मारने से मोनू (अ0सा0-1) के सिर में चोट आयी थी। बचाव पक्ष को विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मोनू (अ0सा0-1) को सिर में कारित हुयी उपहति के संबंध में साक्षियों ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस अभियुक्त ने उसे उपहति कारित की। निश्चित रूप से अभियोजन साक्षियों के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस अभियुक्त ने किस आहत को शरीर के किस स्थान पर उपहति कारित की थी परन्तु साक्षियों के कथनों से यह स्पष्ट ओर अखण्डित साक्ष्य अभिलेख पर है कि मोनू के साथ तीनों आरोपीगण ने सुरेश की लडकी को घुमाने जाने को लेकर मारपीट की थी, तथा उक्त मारपीट में मोनू के सिर में पत्थर लगने से चोट आयी थी।

12- यह उल्लेखनीय है कि अचानक हुयी घटना में जहां अभियुक्तगण की संख्या अधिक होती है वहां आहत व्यक्ति सर्व प्रथम अपने आप को बचाने का प्रयास करता है न कि यह देखने का कौन अभियुक्त किस वस्तु से शरीर के किस भाग पर प्रहार कर रहा है। अतः ऐसे में मोनू (अ0सा0-1) का अभियोजन का इस बात पर समर्थन न करना कि अभियुक्त पप्पू ने उसके सिर में पत्थर मारकर उपहति कारित की थी, तात्त्विक नहीं है, जबकि मोहनी बाई (अ0सा0-2) अपने कथनों में यह स्पष्ट कर चुकी है कि पप्पू के पत्थर मारने से मोनू (अ0सा0-1) के सिर में उपहति कारित हुयी थी। चिकित्सीय साक्षी डाक्टर एम0एल0 खरका (अ0सा0-8) ने भी घटना दिनांक 21.08.15 को आहत मोनू (अ0सा0-1) के किये गये चिकित्सीय परीक्षण में चिकित्सीय परीक्षण के पश्चात् तैयार की गयी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 की पुष्टि करते हुये अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि घटना दिनांक को फरियादी मोनू (अ0सा0-1) के सिर में बाये पैर की एड़ी में फटे घाव की चोट के साथ सिर में पैराइटल भाग के पीछे की तरफ 5 गुणित .75 गुणित .5 सेंटीमीटर का कटा हुआ घाव चिकित्सीय परीक्षण में पाया था जो कि सख्त व धारदार वस्तु से कारित होकर 24 घण्टे की अवधि का था।

13- अतः चिकित्सीय साक्षी डाक्टर एम0 एल0 खरका (अ0सा0-8) के न्यायालीन कथनों से भी एवं उनके द्वारा तैयार की गयी चिकित्सीय रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 से भी फरियादी मोनू (अ0सा0-1) सहित अन्य साक्षियों के कथनों की पुष्टि होती है कि घटना दिनांक को फरियादी के सिर में धारदार वस्तु की चोट थी। उक्त चोट अभियुक्तगण में से किसी के द्वारा सामान्य आशय की अग्रसरण में कारित की गयी थी, इस संबंध में फरियादी सहित घटना के प्रत्यक्ष साक्षी मोहनी बाई (अ0सा0-2) व दीक्षा (अ0सा0-4) के कथन संपूर्ण परीक्षण में अकाट्य व अखण्डित हैं। हालांकि बचाव पक्ष की ओर से मोनू (अ0सा0-1) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में इस संबंध में सुझाव के माध्यम से यह प्रतिरक्षा ली गयी है कि घटना के दो तीन दिन पहले फरियादी का आरोपी सुरेश से झगडा हुआ था, तथा आरोपीगण ने उसे बुलाया था और वह गिर गया था, जिससे उसे चोट आयी थी। बचाव पक्ष की उपरोक्त प्रतिरक्षा कही से भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि फरियादी मोनू

(अ0सा0-1) के सिर के पेराइटल भाग पर कटे हुये घाव की चोट चिकित्सीय परीक्षण में पायी गयी थी, मात्र गिरने से उक्त चोट आना संभव नहीं है जब तक कि किसी उपरी स्थान से या अनियंत्रित होकर किसी वाहन से गिरने से उक्त चोट न आयी हो, बचाव पक्ष की ओर से सुझाव के माध्यम से प्रस्तुत की गयी उपरोक्त प्रतिरक्षा पर विश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि आरोपी सुरेश की लडकी को लेकर पूर्व की रंजिश के चलते सुरेश सहित अन्य अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को फरियादी के घर पर आकर उसके घर के बाहर सामान्य आशय के अग्रसरण में उसके साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी, जिनमें से फरियादी सिर में पत्थर से भी अभियुक्तगण में से किसी ने उपहति कारित की।

14- फरियादी मानू (अ0सा0-1) के अनुसार घटना के समय उसकी बहन दीक्षा (अ0सा0-4) व दादी मोहनी बाई (अ0सा0-2) आ गयी थी जिन्होंने बीच बचाव किया था तो आरोपीगण ने उसकी बहन और दादी के साथ भी मारपीट की थी, जिससे दादी के पैर के अंगूठे में चोट आयी थी, स्वयं मोहनी बाई (अ0सा0-2) ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वह घटना के समय घर पर थी, ढेड बजे मोनू (अ0सा0-1) के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह मोनू को बचाने के लिये गयी थी, तो आरोपीगण ने उसके साथ भी मारपीट की थी जिससे उसके दाये पैर के अंगूठे में चोट आयी थी, इस साक्षी के अनुसार दीक्षा (अ0सा0-4) के साथ भी आरोपीगण ने मारपीट की थी, जिसमें उसके कपडे फट गये थे। दीक्षा (अ0सा0-4) ने भी अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि वह ढेड बजे के समय घटना दिनांक को अपने घर में दादी के साथ गेहू बीन रही थी, तो मोनू (अ0सा0-1) की आवाज सुनकर वह और दादी बचाने पहुचे थे तो आरोपीगण ने उसके भाई के साथ साथ उसकी दादी व उसके साथ भी मारपीट कर दी थी, इस साक्षी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दादी के पैर में आरोपीगण में से किसी ने पत्थर मारा था।

15- दीक्षा (अ0सा0-4) का घटना में चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ तथा स्वयं दीक्षा (अ0सा0-4) ने स्वयं अपने कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि उसका इलाज नहीं हुआ था उसकी दादी और भाई का इलाज हुआ था। डाक्टर एम0 एल0 खरका (अ0सा0-8) ने अपने न्यायालीन कथनों में दिनांक 21.08.15 को आहत मोहनी बाई (अ0सा0-2) के चिकित्सीय परीक्षण में तैयार की गयी रिपोर्ट प्रपी 5 की पुष्टि करते हुये मोहनी बाई (अ0सा0-2) के कथनों की पुष्टि की है कि मोहनी बाई के दाये पैर के अंगूठे के पास एक फटे हुये घाव की चोट उन्होंने घटना दिनांक को पायी थी। अभियुक्तगण की फरियादी से पूर्व की रंजिश स्थापित है, घटना स्थल पर अभियुक्तगण की उपस्थिति तथा उनके द्वारा फरियादी मोनू (अ0सा0-1) को उपहति कारित करना भी उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रमाणित है। मोहनी बाई (अ0सा0-2) व दीक्षा (अ0सा0-4) घटना के समय मौके पर उपस्थित थी तथा आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट की थी जिसमें मोहनी बाई (अ0सा0-2) के पैर के अंगूठे में चोट आयी थी, इस संबंध में भी साक्षियों की साक्ष्य अखण्डित है तथा मोहनी बाई (अ0सा0-2) के पैर के अंगूठे में आयी चोट की पुष्टि डाक्टर एम एल खरका (अ0सा0-8) ने

भी अपने न्यायालीन कथनों में की हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि मोहनी बाई (अ0सा0-1) को चिकित्सीय परीक्षण में पैर के अंगूठे में पायी गयी चोट घटना में ही कारित हुयी हैं।

- 16- अभियोजन साक्षियों के कथनों से हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि मोहनी बाई (अ0सा0-2) को अंगूठे में आयी चोट किस अभियुक्त के द्वारा कारित की गयी तथा दीक्षा (अ0सा0-4) को शरीर पर कोई जाहिर चोट नहीं थी, इस कारण से उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं हुआ, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि तीनों अभियुक्तगण ने मोहनी बाई व दीक्षा (अ0सा0-4) के साथ मारपीट की इस संबंध में फरियादी सहित इन साक्षियों की साक्ष्य अखण्डित हैं। धारा 323 भादवि के अपराध के लिये मारपीट से मात्र शरीर में दर्द कारित होना ही पर्याप्त होता है कि अतः ऐसे में कोई जाहिर चोट का न होना इस बात का निश्चायक प्रमाण नहीं हो सकता है कि व्यक्ति के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी।
- 17- घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने फरियादी के घर पर जाकर विवाद किया था, इस संबंध में घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी राजू (अ0सा0-3) ने भले ही अभियोजन घटना का समर्थन में कथन नहीं दिये तथा बलराम (अ0सा0-5) ने भी पूरी तरह से अभियोजन के समर्थन में कथन नहीं दिये हैं जिससे इन साक्षियों को अभियोजन के द्वारा पक्षविरोधी किया गया। विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि पक्षविरोधी साक्षी कि पूरी साक्ष्य मात्र इस कारण से नहीं नकारी जा सकती है कि उसने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया। पक्षविरोधी साक्षी भी उतनी साक्ष्य जितनी कि विश्वास की जाने योग्य हैं, पर विश्वास किया जा सकता हैं। बलराम (अ0सा0-5) ने भले ही अभियुक्तगण के विरुद्ध फरियादी पक्ष के साथ की गयी मारपीट के समर्थन में कोई कथन नहीं दिये परन्तु घटना दिनांक को फरियादी के घर के बाहर अभियुक्तगण की उपस्थिति एवं विवाद का होना इस साक्षी के कथनों से प्रमाणित होता है।
- 18- अतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस बात पर लेशमात्र भी संदेह नहीं रह जाता है कि घटना दिनांक को अभियुक्तगण ने पूर्व की रंजिश पर से एक राय होकर फरियादी मोनू (अ0सा0-1) के घर के बाहर पहुचकर फरियादी मोनू (अ0सा0-1) के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उक्त घटना में बीच बचाव करने आयी फरियादी दादी मोहनी बाई (अ0सा0-2) व बहन दीक्षा (अ0सा0-4) के साथ भी आरोपीगण ने मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3, 4 व 5 का विवेचना एवं निष्कर्ष:-

- 19- फरियादी मोनू (अ0सा0-1) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह कथन दिये हैं कि मारपीट के समय आरोपीगण उसे मां बहन की गालिया दे रहे थे और जान से मारने की धमकी भी दे

रहे थे। आरोपीगण ने मोनू (अ0सा0-1) के कौन सी अश्लील गालिया उच्चारित की इस संबंध में फरियादी मोनू (अ0सा0-1) ने कोई कथन न्यायालय में नहीं दिये हैं, वहीं अभियोजन के किसी भी साक्षी ने इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये कि अभियुक्तगण ने घटना के समय फरियादी मोनू (अ0सा0-1) को अश्लील गालिया उच्चारित की थी एवं जान से मारने की धमकी दी थी। मोनू (अ0सा0-1) फरियादी मोनू (अ0सा0-1) अभियुक्तगण के द्वारा मां बहन की गालियां दिया जाना तो बताता है परन्तु वास्तव में क्या शब्द उच्चारित किये गये इस संबंध में इस साक्षी ने न तो कोई कथन दिये न ही इसकी साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अभियुक्तगण के द्वारा उच्चारित किये गये किन्ही शब्दों से क्षोभ कारित हुआ। यदि फरियादी को अभियुक्तगण द्वारा दी गयी गालियों से क्षोभ कारित होना प्रमाणित नहीं हैं तो ऐसे में यदि यह मान भी लिया जाये कि अभियुक्तगण ने मां बहन की गालिया दी थी तब भी उक्त कृत्य भादवि की धारा 294 की परधि में नहीं आता है।

- 20— जहां तक अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की धमकी देने का प्रश्न है तो अभियुक्तगण निहत्ये घटना स्थल पर उपस्थित हुये, कोई गंभीर उपहति भी उनके द्वारा कारित नहीं की गयी तथा घटना के अन्य किसी भी साक्षी ने इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये कि अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। फरियादी ने घटना दिनांक को ही पुलिस थाना चंदेरी में पहुंचकर घटना की रिपोर्ट मात्र आधे धण्टे बाद ही लेखबद्ध करायी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि फरियादी को कोई संत्रास कारित नहीं हुआ और यदि अभियुक्तगण द्वारा कोई धमकी दी भी गयी, तो वह मात्र शाब्दिक धौंस थी जो कि संत्रास कारित करने के आशय से नहीं दी गयी। अतः ऐसे में अभिलेख पर आयी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध भादवि की धारा 506बी, के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।
- 21— किसी भी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है। वर्तमान प्रकरण में मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भले ही यह प्रमाणित न होता हो कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक को लोक स्थान पर फरियादी को मां बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, परन्तु अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में एक राय होकर फरियादी मोनू (अ0सा0-1) के घर पर पहुंचकर उसके साथ मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा उन्हें बचाने आयी मोहनी बाई (अ0सा0-2) व दीक्षा (अ0सा0-4) के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 22— फरियादी मोनू (अ0सा0-1) को सिर पर पत्थर के प्रहार से उपहति कारित किया जाना प्रमाणित हैं, परन्तु उक्त उपहति साधारण प्रकृति हैं, किस पत्थर से अभियुक्तगण में से किसी ने फरियादी को उपहति कारित की यह अभिलेख पर आयी साक्ष्य से कही स्पष्ट नहीं है उक्त पत्थर का आकर व माप क्या था यह स्पष्ट नहीं है और न ही पत्थर प्रकरण में जप्त किया गया है, जिससे अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाना संभव नहीं हैं, कि जिस पत्थर से मोनू (अ0सा0-1) को अभियुक्तगण में से किसी ने सामान्य आशय के अग्रसरण में उपहति कारित की थी, उक्त पत्थर असन, काटन, भेदन के

उपकरण की श्रेणी में आता है। फरियादी को कारित हुयी उपहति को दृष्टिगण रखते हुये यह नहीं कहा जा सकता है कि जिस पत्थर से उपहति कारित की गयी, उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य थी। अतः ऐसे में मोनू (अ0सा0-1) के सिर पर भले ही पत्थर से उपहति कारित किया जाना प्रमाणित होता है परन्तु उक्त कारित की गयी उपहति पत्थर की जप्ती के अभाव में एवं साक्षियों के द्वारा पत्थर का विवरण न देने से अभियुक्तगण का कृत्य भादवि की धारा 324 की परिधि में न आकर 323 की परिधि में आता है।

23— फलतः अभिलेख पर आयी साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 21.08.15 को दोपहर दो बजे अभियुक्तगण ने फरियादी के घर के बाहर गली में दिल्ली दरवाजा चंदेरी में लोक स्थान पर फरियादी को मां बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रसरण में किसी असन काटन या बेदन एवं ऐसे उपकरण से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, से फरियादी मोनू के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। परन्तु अभिलेख पर आयी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने उपरोक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी मोनू (अ0सा0 1) को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में स्वेच्छया उपहति कारित की एवं साथ ही मोहनी बाई (अ0सा0 2) व दीक्षा (अ0सा 4) के साथ भी मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की।

24— फलतः अभियुक्तगण को भादवि की धारा 294, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के अपराध से दोष मुक्त घोषित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को मोनू को कारित की गयी उपहति के आरोप में भादवि की धारा 323/34 एवं मोहनी बाई (अ0सा0-2) व दीक्षा (अ0सा0-4) को कारित की गयी उपहति के आरोप में भादवि की धारा 323 दो शीर्ष के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।

25— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

26— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण का फरियादी पक्ष से विवाद अभियुक्त सुरेश की लडकी को लेकर हुआ है। अभियुक्तगण का कोई पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तथा कारित की गयी उपहति साधारण प्रकृति की हैं अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने के उपरान्त एवं प्रकरण में परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्तगण को आहत मोनू को कारित की गयी उपहति के आरोप में भा0दं0वि0 की धारा 323/34 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में न्यायालय उठने तक के साधारण कारावास एवं 700/— रुपये (.सात सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 07 दिवस .सात दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे। अभियुक्तगण को आहत मोहनी बाई एवं दीक्षा को कारित की गयी उपहति के आरोप में भा0दं0वि0 की धारा 323 दो शीर्ष के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप प्रत्येक शीर्षके लिये न्यायालय उठने तक के साधारण कारावास एवं 500/— रुपये (पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस (पांच दिवस) का पृथक से कारावास भुगताया जावे।

27— अभियुक्तगण को दी गयी उपरोक्त सजाएं एक साथ भुगतायी जावे। अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)